भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2363
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

नीली क्रांति योजना

2363. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय की नीली क्रांति योजना का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत तिरूनेलवेली जिले को निधि आवंटित और संवितरित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त योजना के आरंभ से इस योजना के अंतर्गत तिरुनेलवेली जिले में आरंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समग्र विकास के लिए कई पहल की हैं। कार्यान्वित की गई मात्स्यिकी विकास योजनाओं और ऐसी योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का योजना-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(i) नीली क्रांति पर केन्द्र प्रायोजित योजना: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय परिव्यय के साथ लागू किया गया और इस योजना ने मात्स्यिकी क्षेत्र में लगभग 5000 करोड़ का निवेश जुटाया है । इस योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु सरकार के 484.93 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और राज्य में मात्स्यिकी के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार को 284.93 करोड़ रुपए की केन्द्रीय निधि जारी की गई। तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक तिरुनेलवेली जिले में 139.58 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और 137.53 लाख रुपये विभिन्न गतिविधियों के लिए वितरित किए गए हैं, जैसे कि (i) पारंपरिक मछुआरों को आउट बोर्ड मोटर (ओबीएम)/इन बोर्ड इंजन (आईबीई) की आपूर्ति, (ii) पारंपरिक/लकड़ी की नावों के प्रतिस्थापन के रूप में इंजन, जाल और इन्सुलेटेड आइस बॉक्स सहित 10 ओवर ऑल लेंग्थ (ओएएल) तक की एफआरपी नावें, (iii) नए तालाबों/टैंकों का निर्माण, (iv) मौजूदा तालाबों का रेनोवेशन और इनपुट सब्सिडी, (v) पारंपरिक क्राफ्ट का मोटरीकरण और (vi) केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तमिलनाडु की मेकेनाईज़्ड़ बोट्स में ट्रांसपोंडर लगाना ।

(ii) मात्स्यिकी क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष 2018-19 में 7522.48 करोड़ रुपए की कुल निधि के साथ मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट फंड (एफआईडीएफ) शुरू की गई थी। एफआईडीएफ राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को चिन्हित फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार नोडल ऋण देने वाली संस्थाओं (एनएलई) द्वारा प्रति वर्ष 5% तक के ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 2 साल के मॉरेटोरियम सहित 12 साल की पुनर्भुगतान अवधि के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान करता है । एफआईडीएफ के तहत तमिलनाडु के लिए 1577.08 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 66 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें ब्याज अनुदान के लिए परियोजना लागत 1338.21 करोड़ रुपए तक सीमित है। तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि 66 परियोजनाओं में से 6 मात्स्यिकी से संबंधित परियोजनाएं तिरुनेलवेली जिले में शुरू की गई हैं।

(iii) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ लागू किया गया है। यह योजना मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट, फिशरीज़ वैल्यू चैन के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, एक मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण अंतराल (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने के लिए तैयार की गई है। विगत चार वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, तमिलनाडु सरकार के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों के लिए 445.36 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 1152.85 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और राज्य सरकार को अब तक केंद्रीय अंश में से 136.31 करोड़ रुपए जारी किया गया है।

(iv) मात्स्यिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और फिशरीज़ वैल्यू चैन में दक्षताओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 6000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (पीएमएमकेएसएसवाई)" को लागू कर रही है। पीएमएमकेएसएसवाई का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित बनाना, जलीय कृषि बीमा को प्रोत्साहित करना, मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल्य श्रृंखला दक्षता, सुरक्षित मत्स्य उत्पादन के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणाली को अपनाना आदि है।

(v) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा को मछुआरों और मत्स्य किसानों तक विस्तारित किया है, ताकि उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। देश भर में मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए अब तक 2810 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ कुल 4.39 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु के 2,44,506 मछुआरे और मत्स्य किसान शामिल हैं।

*****